न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /अवमानना/2011 शाजापुर M-398-II/2011

जगन्नाथ पुत्र फुन्दी लाल बलाई,
निवासी–ग्राम–पारदाखेड़ी, तहसील–
कालापीपल, जिला–शाजापुर

.... आवेदक

बनाम

1. तहसीलदार, कालापीपल, शाजापुर,
2. सत्यनारायण पुत्र प्रहलाद बलाई
3. संतोष कुमार पुत्र प्रहलाद बलाई
4. प्रहलाद सिंह पुत्र प्रहलाद बलाई
5. गुरूवक्ष पुत्र प्रहलाद बलाई

सभी निवासी– गांव–पारदाखेड़ी,
तहसील–कालापीपल, जिला–शाजापुर

... अनावेदकगण

11-3-11 को
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
74
11-3-11

अवमानना आवेदन पत्र धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ श्रीमान् जी के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1072/09 शाजापुर, जगन्नाथ बनाम सत्यनाराण प्रस्तुत कर दिया जिसमें दिनांक 21–10–2009 को यथास्थिति के आदेश पारित किये जिसकी जानकारी आवेदक ने यथास्थिति आदेश की फोटो कॉपी एवं आवेदनपत्र के साथ दिनांक 27–10–2009 तहसील न्यायालय में पेश कर दिया है जिसे उक्त पक्षकारों के मध्य आगे कोई कार्यवाही न चले जिसकी प्राप्ति तहसील न्यायालय से दिनांक 27–10–2009 को प्राप्त हुई, उसके बाद अनावेदक ने तहसील न्यायालय में धारा 178 का आवेदन पत्र दिनांक 17–01–2011 को पेश कर निगरानीकर्ता को उक्त आवेदन में कार्यवाही होने हेतु नोटिस जारी कर

दिनांक 11–02–2011 को उपस्थित होने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी एवं पूर्व में भी तहसील न्यायालय ने एक अन्य आदेश दिनांक पारित कर दिया, इस आदेश के खिलाफ निगरानीकर्ता ने एस.डी.ओ. के यहां अपील पेश कर दी जो लम्बित है जबकि राजस्व मण्डल ने दिनांक 21–10–2009 यथास्थिति के आदेश पारित किये उस आदेश की अवहेलना अधीनस्थ न्यायालय ने फिर दुबारा, फिर तहसीलदार कालापीपल ने विभाजन की कार्यवाही का नोटिस निगरानीकर्ता को दिनांक 11–02–2011 को तहसील न्यायालय कालापीपल शाजापुर में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया व इस बात का नोटिस निगरानीकर्ता को नोटिस की तामील कराकर बटवारे की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् के न्यायालय के आदेश दिनांक 21–10–2009 की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि निम्न न्यायालय के जिन अधिकारी / कर्मचारी ने श्रीमान् जी के आदेश दिनांक 21–10–2009 के आदेश की अवहेलना की उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

दिनांक : 11–03–2011

आवेदक,

स्थान : ग्वालियर

जगन्नाथ

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 398–दो / 2011 **जिला शाजापुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–9–2016	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1072–एक / 2009 में दिनांक 21–10–2009 को अंतरिम आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये हैं । उक्त अंतरिम आदेश की प्रति तहसीलदार को दिनांक 27–10–2009 को प्राप्त हो गई है, अतः इस न्यायालय से प्रकरण में स्थगन होने के बावजूद भी तहसीलदार, तहसील कालापीपल जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि स्पष्टतः इस न्यायालय के आदेश की अवमानना है । अतः कलेक्टर जिला शाजापुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तहसीलदार तहसील कालापीपल जिला शाजापुर द्वारा की गई इस न्यायालय की अवमानना के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही तहसीलदार के विरूद्ध करें । अध्यक्ष	